

न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

AS

प्रकरण संख्या 60/2017 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 22.09.2017

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बी वीग आहूरा सेन्टर महा काली केटस रोड़, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई की इकाई आदित्य सीमेंट वर्क्स, आदित्यपुरम सावा तह. व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा महा प्रबंधक भूमि रमेशचन्द्र आत्मज रामअवध त्रिपाठी उम्र 51 वर्ष निवासी आदित्य सीमेंट आदित्यपुरम सावा

-प्रार्थी

बनाम

नारायण लाल आत्मज मोतीलाल जी रावत निवासी रेल का अमराना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956



उपस्थिति: 1- श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी



निर्णय

दिनांक 08.01.2019

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी को भारत सरकार द्वारा ग्राम सावा, केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में वृहद् सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की गई है एवं इसी क्रम में राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रार्थी कम्पनी को प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत कच्चेमाल (लाईम स्टोन) की आपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम सावा, रेल का अमराना, मेडी का अमराना, बड का अमराना, अमरपुरा, जोरावरसिंह का खेड़ा, नया खेड़ा, सिंदवडी व कारुदा आदि की कुल 771.10 हैक्टर भूमि खनन

  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 60/2017 (रे.वि.)
मै. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. बनाम नारायण लाल रावत निवासी रेल का अमराना

कार्य करने हेतु पत्र क्रमांक प/5/96/खानग्रुप-1/92 दिनांक 01.03.1994 को आवंटित हुई तथा जिसकी लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 26.04.94 को निष्पादित की गई। प्रार्थी माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित अवाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन करता चला आ रहा है।

प्रार्थी कम्पनी के माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित ग्राम रेल का अमराना की निम्नांकित आराजीयात जिसमें 3/4 हिस्सा प्रार्थी स्वयं का तथा 1/4 हिस्सा कृषि भूमि विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित है।

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल है. में	खातेदार का हिस्सा	किस्म
रेल का अमराना	348	0.02	1/4 हिस्सा	गै. मु. बाडा
	349	0.02		गै. मु. बाडा
	350	0.02		गै. मु. बाडा
	351	0.02		गै. मु. बाडा
	352	0.07		गै. मु. बाडा
	353	0.23		चाही 1 व जाव 1
	389	0.13		चाही 1 व जाव 1
किता-7 कुल क्षेत्रफल-		0.51	0.1275 हैक्टेयर	



उपरोक्त उल्लेखित सम्पत्ति विपक्षी के कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की होकर माइनिंग लीज क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी को खनन एवं अनुषांगिक प्रयोजनार्थ भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी के सीमेंट उद्योग के लिये कच्चे माल लाइम स्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन कार्य नहीं कर सकेगी जिससे प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो सकेगा और सीमेंट उत्पादन संभव नहीं हो सकेगा जिससे संस्थान के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः धारा 89 (4) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम एवं माइनिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारित कराया जावे एवं मुआवजा राशि का भुगतान कराने पर उक्त कृषि भूमि का कब्जा विपक्षी से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ से डी.एल.सी. दर प्राप्त की गई। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई।

जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 60/2017 (रे.वि.)
मै. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. बनाम नारायण लाल रावत निवासी रेल का अमराना

At

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति एवं राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत कच्चेमाल, लाईमस्टोन की आपूर्ति हेतु खनन कार्य हेतु भूमि आवंटित कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की हुई है जिससे प्रार्थी कम्पनी माइनिंग लीज क्षेत्र में अवाप्त की गई व अन्य खातेदारों से प्राप्त भूमि पर खनन कार्य कर रही है एवं करेगी। प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज क्षेत्र में विपक्षी की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माइनिंग प्रयोजनार्थ आवश्यकता है, जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (4) के तहत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा निर्धारण कराना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विपक्षी की भूमि का मुआवजा निर्धारण कराया जाकर अवार्ड आदेश पारित कराया जावे व बाद भुगतान मुआवजा राशि उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाने व राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि बिलानाम माइनिंग लीज प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकित करने का आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी कम्पनी की माइनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (4) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मुआवजा राशि के निर्धारण हेतु निवेदन किया गया है, जिससे खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने से पूर्व भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपनी मौका रिपोर्ट में संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

क्र.सं.	संरचना विवरण	कीमत (रूपये में)
1.	वृक्ष	56000
2.	पत्थर कोट	90000
3.	नलकूप पड़त केसिंग लगा हुआ	70000
	संरचनाओं का कुल योग:-	216000



उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ ने ग्राम रेल का अमराना की सिंचित कृषि भूमि आबादी व सड़क के पास की दर 9080/-रूपये प्रति एयर होना बताया है। चूंकि भूमि का उपयोग माइनिंग कार्य हेतु लिये जाने से इस ग्राम की सिंचित, आबादी एवं सड़क के पास की भूमि का निर्धारित उच्चतम दर की दुगुनी राशि 18160/-रूपये प्रति एयर की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण करना उचित समझते हैं। विपक्षी की भूमि का एवं मौके पर पाई गई संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 60/2017 (रे.वि.)
मै. अल्ट्राटेक सीमेंट लि. बनाम नारायण लाल रावत निवासी रेल का अमराना

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल है. में	दर प्रति एयर (रु. में)	देय राशि (रु.में)
रेल का अमराना	348	0.02	18160	231540
	349	0.02		
	350	0.02		
	351	0.02		
	352	0.07		
	353	0.23		
	389	0.13		
किता-7 कुल क्षेत्रफल-		0.51 है. में से विपक्षी की 1/4 हिस्सा भूमि (0.1275 है.)		
			कीमत संरचना	216000
			योग	447540
			100% सोलिशियम राशि	447540
			कुल देय राशि	895080

अक्षरे आठ लाख पिच्चानवे हजार अरसी रूपये मात्र/-

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चैक तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को उपलब्ध करावे। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बन्ध में संतुष्टि के उपरांत सम्बन्धित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(शिवांगी स्वर्णकार)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़